


0188

5794960188

अनुलग्नक-1

नलकूप के निश्चित विद्युत कनेक्शन के लिये आवेदन पत्र



1. प्रार्थी का नाम श्री फन्टू पुत्र श्री राजोहर
पता ग्राम पंचापत्र - चन्द्रपुरवा बुजुर्गी
2. बिजली की शक्ति की मात्रा जिसके लिये आवेदन पत्र दिया जा रहा है।
10.0 H.P.
3. स्थान जहां कनेक्शन अपेक्षित है। ग्राम चन्द्रपुरवा बुजुर्गी विकासखण्ड - सुमेरपुर
4. प्रार्थी का एकड़ों में वह क्षेत्रफल जिसकी नलकूप से सिंचाई की जायेगी.....
जमीन के टुकड़ों का पूरा विवरण जिनकी नाप संख्या स्थित आदि का पूरा विवरण.....
5. क्या उस क्षेत्र की सिंचाई किसी साधन पक्के कुए आदि से की जाती है.....
6. अब तक उस क्षेत्र की सिंचाई किन साधनों से की जाती थी अब उससे आगे काम क्यों नहीं लिया जाता है.....
7. क्या यह क्षेत्र अंशता या पूर्णता किसी राजकीय नलकूप या नहर द्वारा सीधे जाने वाले क्षेत्रफल (कमान्ड एरिया) के अन्तर्गत आता है.....
8. क्या नलकूप की बोरिंग (खुदाई) की गयी है और पम्प तथा मीटर लगा दिये गये हैं..... बोरिंग कार्य पूर्ण हो गया है।
9. प्रार्थी के क्षेत्र तथा निकटतम राजकीय नलकूप अथवा नहर के बीच की दूरी 3.00.0 मीटर
10. नलकूप के स्थल से बिजली के निकटतम खम्भे की दूरी यदि कोई हो.....
11. पाइप का प्रयास चलनी (स्टेनर) की लम्बाई बोरिंग की खुदाई गहराई 2.10.0 पाइप पाइप फुट
साते की सतह पहले उपज पानी फूटने की सतह की गहराई और पानी 80.0 फुट पानी पतल
निकलने का परिणाम प्रति घण्टा भेजना है.....
12. प्रार्थी की जन्मतिथि.....

दिनांक

मेडोप्य

प्रार्थी के हस्ताक्षर

नाम श्री फन्टू पुत्र श्री राजोहर
 ग्राम चन्द्रपुरवा बुजुर्गी
 विकासखण्ड सुमेरपुर
 जिला हमीरपुर

Desktop 22-05-2015

प्रार्थी श्री फन्टू पुत्र श्री राजोहर निठ ग्राम चन्द्रपुरवा बुजुर्गी विकासखण्ड सुमेरपुर में अपने खेतों में गहरी बोई की व्यवस्था की है।
 वर्ष - 2022-23 में पूर्ण कृषि की है।
 उसका उक्त कृषि के 104 मीटर कुएँ में पानी निकले
 सक्षुंति सक्षि उक्त कृषि कमाया जा रहा है।
 फन्टू

अधिसूचना संख्या 1832-38 दिनांक 04.03.68 के अन्तर्गत
(यदि इस तारीख के बाद अधिक लागू की आवश्यकता हो)

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम श्री. प्रकाश पुत्र श्री. राजेश्वर
एकड़ भूमि है। जिसके लिये नलकूप लगाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा चक संख्या (19) 12-5 (69)
में बोरिंग लगाई गई है।


JE MI
Barnaul Hamirpur


जिला विकास अधिकारी
भुमरपुर (हमिरपुर)

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी ने अपना कुआ बनाव लिया है और विद्युत की मांग उचित है। यह
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नलकूप 25 मीटर चौड़ी नहर से 200 मीटर दूर है। 25 मीटर चौड़ी
नहर से 100 मीटर है।


JE MI
Barnaul Hamirpur


जिला विकास अधिकारी
भुमरपुर (हमिरपुर)

संख्या 260(1) एफ.02.10/23 आइ.02.04/10 दिनांक 21.02.66 के अन्तर्गत

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी को प्रस्तावित नहर से ठीक पानी नहीं मिल पाता तथा विभाग का
प्रार्थी के नलकूप को कनेक्शन देने में कोई आपत्ति नहीं है।


JE MI
Barnaul Hamirpur


जिला विकास अधिकारी
भुमरपुर (हमिरपुर)